

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
संख्या 34 (विनियोग)
ब्याज संदाय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	...	117390.18	117390.18	...	115994.29	115994.29	...	123223.08	123223.08
पूंजी
जोड़	...	117390.18	117390.18	...	115994.29	115994.29	...	123223.08	123223.08
1. ऋण को घटाने के लिए पूर्वभुगतान प्रीमियम ब्याज संदाय	2048	330.90	330.90
2. आंतरिक ऋण पर ब्याज									
2.01 बाजार उधार	2049	...	64459.47	64459.47	...	62296.00	62296.00	...	66558.00
घटाइए-उपार्जित ब्याज	0049	...	-5704.00	-5704.00	...	-7089.00	-7089.00	...	-4532.00
निवल	58755.47	58755.47	...	55207.00	55207.00	...	62026.00
2.02 क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्ड	2049	...	2402.25	2402.25	...	2068.95	2068.95	...	2629.80
2.03 राजकोषीय हुण्डियों के संबंध में बट्टा	2049	...	527.00	527.00	...	521.00	521.00	...	470.00
2.04 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों पर बट्टा	2049	...	1761.00	1761.00	...	1490.00	1490.00	...	1344.00
2.05 राजकोषीय हुण्डियों के अंतरण में भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित प्रतिभूतियां	2049	...	4223.63	4223.63	...	3746.00	3746.00	...	2845.00
2.06 ऋण का प्रबंध	2049	...	250.00	250.00	...	300.00	300.00	...	250.00
2.07 अर्थोपाय अग्रिम	2049	...	550.00	550.00	...	318.00	318.00	...	320.00
2.08 विशेष प्रतिभूतियों के एवज में जारी विपणन योग्य प्रतिभूतियां	2049	...	2120.25	2120.25	...	2840.55	2840.55	...	4497.30
2.09 6% पूंजी सूचकांक बांड, 2002	2049	190.22	190.22
जोड़	11834.13	11834.13	...	11474.72	11474.72	...	12356.10
3. विदेशी ऋण पर ब्याज	2049	...	4319.79	4319.79	...	4511.44	4511.44	...	3288.15
4. भविष्य निधियों आदि पर ब्याज									
4.01 लघु बचत जमाराशियों, प्रमाणपत्रों और पीपीएफ पर ब्याज व प्रचालनात्मक व्यय	2049	...	22717.49	22717.49	...	23480.09	23480.09	...	23480.09
4.02 राज्य भविष्य निधियां	2049	...	3113.58	3113.58	...	3797.14	3797.14	...	3919.66
4.03 बीमा और पेंशन निधियां	2049	...	2617.23	2617.23	...	2654.41	2654.41	...	3015.17
4.04 गैर-सरकारी भविष्य निधियों इत्यादि की विशेष जमाराशियां	2049	...	10200.00	10200.00	...	10025.00	10025.00	...	10320.00
4.05 राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2049	...	1802.80	1802.80	...	1802.80	1802.80	...	1887.00
4.06 भारतीय यूनिट ट्रस्ट को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2049	...	370.92	370.92	...	370.92	370.92	...	461.34
4.07 जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा इसकी सहायक कंपनियों की विशेष जमाराशियां	2049	...	299.15	299.15	...	271.57	271.57	...	240.10
4.08 अन्य विशेष जमाराशियां	2049	...	658.79	658.79	...	677.20	677.20	...	747.87
जोड़	41779.96	41779.96	...	43079.13	43079.13	...	44071.23
5. प्रारक्षित निधियों पर ब्याज	2049	...	155.69	155.69	...	186.23	186.23	...	221.76
6. अन्य देनदारियों पर ब्याज									
6.01 ओसीसी देयताओं के एवज में तेल कंपनियों को दिए गए विशेष बांड	2049	...	40.43	40.43	...	666.83	666.83	...	666.83
6.02 अन्य देयताओं पर ब्याज	2049	...	504.71	504.71	...	538.04	538.04	...	593.01
कुल जोड़	117390.18	117390.18	...	115994.29	115994.29	...	123223.08

इस विनियोग में शामिल संपूर्ण व्यय भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(3) (ग) के अंतर्गत भारत की समेकित निधि पर "भारित" के रूप में वर्गीकृत हैं।

2. इस विनियोग में केन्द्रीय सरकार की ऋण देयताओं, आंतरिक और बाह्य दोनों, पर ब्याज-प्रभारों के लिए प्रावधान है। इसमें भविष्य निधियों, सरकार के पास विशेष जमाराशियों के अलावा मूल्यहास और रेलवे तथा दूरसंचार जैसे वाणिज्यिक

विभागों की अन्य प्रारक्षित निधियों पर देय ब्याज हेतु प्रावधान शामिल है। केन्द्रीय सरकार के ऋण तथा अन्य देयताओं के प्रबंध हेतु प्रावधान भी इस विनियोग में शामिल किए गए हैं।

3. वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमानों में हुई वृद्धि मुख्यतया आंतरिक ऋण पर ब्याज की अधिक आवश्यकता के लिए है।